धारा 6–ए प्रकरण सं0 05/2017 अनवान 1–विष्णु कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति बिश्नोई निवासी ढाणी 9 डीबीएन तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर 2–इन्द्राज पुत्र श्री रिडमाल राम जाति ज्याणी निवासी मांझुवास तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर बनाम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20.02.2018

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण विष्णु कुमार व इन्द्राज के अभिभाषक श्री आनन्द व्यास एवं विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित है। दोनो पक्षो की बहस दिनांक 29.01.2018 को सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण विष्णु कुमार व इन्द्राज के अभिभाषक श्री आनन्द व्यास का कथन था कि प्रार्थी विनोद कुमार के विरूद्ध पुलिस थाना राजियासर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण के टैम्पू टाटा एस संख्या आरजे 13 जीबी 0151 की जांच श्री विजेन्द्रपाल प्रवर्तन अधिकारी किये जाने पर वाहन में 8 प्लास्ठिक ड्रमो में 1760 लीटर डीजल होना मानकर धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम का प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसमें आदेश दिनांक 11.05.2015 के द्वारा अप्रार्थी विष्णुकुमार के कब्जे से जब्त शुदा 1760 लीटर डीजल मय 8 प्लास्टिक ड्रम एवं वाहन टैम्पू टाटा एसी संख्या आरजे 13 जीबी 0151 को राजसात करने का आदेश दिया गया एवं राजसात किये गये वाहन की एवज में दौ लाख रूपये जुर्माना लगाया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपील में जिला एवं सैशन न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 15.06.2015 से इस जुर्माना की राशि 65000/–रूपये कर दी गई। जिला एवं सैशन न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय राज0 जोधपुर में एसबी क्रिमीनल रिविजन पेटीशन संख्या 290/2016 इन्द्राज बनाम स्टेट आदि प्रस्तुत की गई। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.12.2017 से श्रीमान न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.05.2015 व जिला एवं सैशन न्यायाधीश श्रीगंगानगर के निर्णय 15.06.2015 को निरस्त कर जब्त शुदा डीजल की विक्रय राशि एवं वाहन की जुर्माना राशि 6 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया गया है।

उनका आगे कथन था कि प्रवर्तन अधिकारी द्वारा इस पुलिस थाना राजियासर में धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एक एफआईआर संख्या 225/2014 प्रार्थी विष्णुकुमार के विरूद्ध दर्ज करवाई गई। जिसमें पुलिस द्वारा मुख्य न्यायिक मजि0, श्रीगंगानगर के न्यायालय में चालान पेश किया गया जो प्रकरण संख्या 71/2015 सरकार बनाम विष्णुकुमार के रूप में दर्ज हुआ। जिसमें अभियुक्त/प्रार्थी विष्णुकुमार के विरूद्ध आरोप न बनना पाये जाने के कारण निर्णय दिनांक 24.08.2016 से उसे उन्मोचित किया गया है। जिसके विरूद्ध स्टेट की ओर से कोई अपील/रिवीजन नही की गई है और ना ही कोई विचारणीय है। धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रकरण में प्रार्थी विष्णुकुमार के दोष मुक्त होने के कारण एवं माननीय उच्च न्यायालय राज0 जोधपुर के निर्णय की पालना में धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रकरण में राजसात किये गये डीजल की विक्रय राशि एवं राजसात किये गये वाहन की एवज में जमा करवाई गई जुर्माना राशि 65000/–रूपये मय 6 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्
श्रीगंगानगर

विभागीय प्रतिनिधि का कथन था कि धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रकरण संख्या 76/2014 सरकार बनाम विष्णुकुमार आदि निर्णय दिनांक 11.05.2015 के द्वारा जब्त शुदा 1760 लीटर डीजल एवं वाहन टैम्पू टाटा एस संख्या आरजे 13 जीबी 0151 को राजसात करने का आदेश दिया गया था और राजसात किये गये उक्त वाहन की एवज में 2,00,000/–रूपये जुर्माना अधिरोपित किया गया था एवं प्रार्थी विष्णुकुमार के विरूद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण मुख्य न्यायिक मजि0 श्रीगंगानगर के न्यायालय में पेश किया गया था जिसमें प्रार्थी विष्णु कुमार आदेश दिनांक 24.08.2016 के द्वारा उन्मोचित किया जा चुका है और इस आदेश के विरूद्ध आागमी न्यायालय में अपील प्रस्तुत नही की गई है। धारा 6ए के प्रकरण में राजसात किये गये वाहन टैम्पू टाटा एस संख्या आरजे 13 जीबी 0151 की एवज में लगाई गई जुर्माना राशि दौ लाख रूपये के विरूद्ध माननीय जिला एवं सैशन न्यायालय श्रीगंगानगर में प्रस्तुत दाण्डिक अपील संख्या 156/2015 को आंशिक रूप से स्वीकार कर निर्णय दिनांक 15.06.2015 से जुर्माना राशि संशोधित करते हुए 65000रूपये जुर्माना कायम किया गया है जो चालान संख्या 0006753147 दिनांक 25.06.15 के द्वारा राजकोष में जमा करवाई जा चुकी है। उक्त निर्णय की असन्तुष्टी से इन्द्राज द्वारा माननीय उच्च न्यायालय राज0 जोधपुर में एस.बी. क्रिमीनल रिट संख्या 290/2016 इन्द्राज बनाम सरकार, इन्द्राज प्रस्तुत की गई है जिसके निर्णय 18.12.2017 के विरूद्ध भी आगामी न्यायालय में अपील प्रस्तुत नही की गई है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना किये जाने में उनको कोई आपति नही है।

मैने दोनो पक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थीगण विष्णकुमार व इन्द्राज ने दिनांक 28.12.16 को एक प्रा0 पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि प्रार्थी विष्णु कुमार, मुख्य न्यायिक मजि0 श्रीगंगानगर के न्यायालय में अपराधिक प्रकरण संख्या 71/2015 सरकार बनाम विष्णुकुमार धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में आदेश दिनांक 24.08.2016 के द्वारा उन्मोचित हो चुका है। इसलिए धारा 6ए के प्रकरण संख्या 76/2014 सरकार बनाम विष्णुकुमार व इन्द्राज में जब्त शुदा 1760 लीटर डीजल या उसकी विक्रय राशि एवं वाहन की एवज में जमा करवाई गई जुर्माना राशि प्रार्थीगण को वापिस लौटाने की प्रार्थना की गई है। प्रार्थी विष्णुकुमार की ओर से दिनांक 22.01.2018 को प्रा0 पत्र के साथ माननीय उच्च न्यायालय राज0 जोधपुर द्वारा एस.बी. क्रिमीनल रिवीजन पेटीशन संख्या 290/2016 इन्द्राज बनाम स्टेट, विष्णुकुमार में पारित निर्णय दिनांक 18.12.2017 की प्रति प्रस्तुत कर निर्णय की पालना में जब्त शुदा डीजल की विक्रय राशि एवं वाहन की एवज में जमा करवाई गई जुर्माना राशि मय 6 प्रतिशत सहित व्याज लौटाने के आदेश चाहे है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि धारा 6ए के प्रकरण संख्या 76/2014 सरकार बनाम विष्णुकुमार–इन्द्राज में पारित निर्णय दिनांक 11.05.2015 के अनुसार 1760 लीटर डीजल एवं वाहन टैम्पू टाटा एस संख्या आरजे 13 जीबी 0151 को राजसात करने के आदेश दिये गये थे। उक्त निर्णय के विरूद्ध इन्द्राज व विष्णुकुमार द्वारा सैशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर के न्यायालय में प्रस्तुत दाण्डिक अपील संख्या 156/2015 इन्द्राज–विष्णुकुमार बनाम राज0 राज्य में पारित निर्णय दिनांक 15.06.2015 के द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 11.05.2015 को पुष्ट किया जाकर वाहन राजसात की एवज में अधिरोपित जुर्माना राशि को संशोधित किया जाकर वाहन राजसात की एवज में 65000/–रूपये जुर्माना अधिरोपित किया गया है। सैशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर के उक्त निर्णय 15.06.2015 एवं इस न्यायालय के निर्णय 11.05.2015 के विरूद्ध इन्द्राज द्वारा माननीय उच्च न्यायालय राज0 जोधपुर में प्रस्तुत एस.बी. क्रिमीनल रिविजन पेटीशन संख्या 290/2016 इन्द्राज बनाम स्टेट व विष्णुकुमार में पारित निर्णय दिनांक 18.12.2017 के द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 11.05.2015 व जिला एवं सैशन न्यायाधीन श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 15.06.2015 को अपास्त कर डीजल के विक्रय दिनांक से विक्रय राशि एवं वाहन की जुर्माना राशि जमा दिनांक से मय 6 प्रतिशत ब्याज सहित वापिस लौटाने के आदेश दिये गये है। जिसके विरूद्ध स्टेट की ओर से आगामी न्यायालय अपील नही की गई है एवं माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय की पालना में डीजल विक्रय राशि एवं वाहन की एवज मेंजमा करवाई गई जुर्माना राशि वापिस लौटाये जाने पर विभागीय प्रतिनिधि को कोई आपत्ति नही है।

चूंकि धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अपराधिक प्रकरण संख्या 71/2015 सरकार बनाम विष्णुकुमार में पारित आदेश दिनांक 24.08.2016 के द्वारा विष्णुकुमार दोष मुक्त हो चुका है जिसके विरूद्ध स्टेट की ओर से आगामी न्यायालय में अपील नही की गयी है और माननीय उच्च न्यायालय राज0 जोधपुर द्वारा एस.बी. क्रिमीनल रिविजन पेटीशन संख्या 290/2016 इन्द्राज बनाम स्टेट, विष्णुकुमार में पारित निर्णय 18.12.2017 से इस न्ययालय द्वारा धारा 6ए के प्रकरण संख्या 76/2014 सरकार बनाम विष्णुकुमार में पारित आदेश दिनांक 11.05.2015 व जिला एवं सैशन न्यायालय श्रीगंगानगर द्वारा दाण्डिक अपील संख्या 156/2015 इन्द्राज–विष्णुकुमार बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 15.06.2015 निरस्त कर प्रकरण में जब्त शुदा डीजल विक्रय राशि डीजल विक्रय दिनांक से 6 प्रतिशत ब्याज एवं वाहन की एवज में जमा करवाई गई जुर्माना राशि मय जुर्माना राशि जमा दिनांक से 6 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया गया है जिसके विरूद्ध भी स्टेट की ओर से आगामी न्यायालय में अपील नही की गयी है।

अतः प्रार्थीगण विष्णुकुमार व इन्द्राज का प्रार्थना पत्र दिनांक 28.12.2016 एवं विष्णकुमार का प्रार्थना पत्र दिनांक 22.01.18 स्वीकार किया जाकर धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रकरण संख्या 71/2015 सरकार बनाम विष्णकुमार में पारित आदेश दिनांक 24.08.2016 से विष्णुकुमार दोष मुक्ति के परिणाम स्वरूप एवं माननीय उच्च न्यायालय राज0 जोधपुर द्वारा एस. बी. क्रिमीनल रिविजन पेटीशन संख्या 290/2016 इन्द्राज बनाम

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

स्टेट, विष्णुकुमार में पारित निर्णय 18.12.2017 से इस न्ययालय द्वारा धारा 6ए के प्रकरण संख्या 76/2014 सरकार बनाम विष्णुकुमार में पारित आदेश दिनांक 11.05.2015 व जिला एवं सैशन न्यायालय श्रीगंगानगर द्वारा दाण्डिक अपील संख्या 156/2015 इन्द्राज—विष्णुकुमार बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 15.06.2015 निरस्त कर प्रकरण में जब्त शुदा डीजल विक्रय राशि डीजल विक्रय दिनांक से 6 प्रतिशत ब्याज एवं वाहन की एवज में जमा करवाई गई जुर्माना राशि मय जुर्माना राशि जमा दिनांक से 6 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिये जाने के फलस्वरूप प्रार्थीगण से जब्त शुदा 1760 लीटर डीजल की विक्रय राशि विक्रय दिनांक से 6 प्रतिशत ब्याज सहित एवं वाहन की एवज में जमा करवाई गई जुर्माना राशि 65000/—रूपये जमा दिनांक से 6 प्रतिशत ब्याज सहित प्रार्थीगण को लौटाये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। अभिलेखागार में जमा शुदा धारा 6ए की पत्रावली संख्या 76/2014 आदेश की प्रति सहित वापिस लौटाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर